न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर

पीठासीन अधिकारी– श्री बाबूलाल गोयल, RAS।

अपील संख्या 130/2020 जिला सीकर ।

मुली देवी पत्नी स्व. श्री सुरजाराम कालावत जाति बलाई निवासी गणेश्वर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

अपीलान्ट्

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर, राजस्थान।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर सीकर दिनांक 28.05.2001 अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत प्रार्थना पत्र संख्या 119/2020

उपस्थित–

1. वकील अपीलार्थीया एड. श्री सुमेर सैनी।
2. रेस्पोडेंट् की ओर से श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक–25.10.2021

1. यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर सीकर के निर्णय दिनांक 28.05.2001 के खिलाफ प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि जिला कलक्टर सीकर द्वारा शीर्षक प्रार्थना पत्र सरकार बनाम मूली देवी में पारित निर्णय दिनांक 28.05.2001 के द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मुली देवी पत्नी श्री सुरजाराम जाति बलाई निवासी गणेश्वर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर को दिनांक 18.06.1999 को आराजी ख.न. 1104/1 कुल रकबा 12.38 है. में से 0.60 है0 भूमि का आंवटन किया गया को निरस्त किया गया।
3. न्यायालय जिला कलक्टर सीकर के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.05.2001 से व्यथित होकर अपीलार्थीया द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट् स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.05.2001 को निरस्त फरमाये जाने की प्रार्थना की।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट् की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
5. अपीलार्थीया के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आपेक्षित आदेश दिनांक 28.05.2001 आवंटन सलाहकार समिति के भूमि आवंटन संबंधित अभिलेख का अवलोकन व परिसिलन किये बगैर विधि विरूद्ध तरीके से पारित कर अपीलार्थीया को भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 18.6.1999 को भूमि खसरा नम्बर 1104/1 कुल रकबा 12.38 है0 में से 0.60 है0 भूमि आवंटित किये जाने के आदेश को निरस्त कर पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीया के आवंटन को इस आधार पर निरस्त किया है कि राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 7(क) व (ख) की कोई पालना नही की गई है। भू–आवंटन नियम के प्रावधानो की पालना नही किये जाने का दिया गया विवेचन भी विधि संवत नही है। जिसके संबंध में नियम 7 राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 का अवलोकन किया जाना समिचिन है। जिसमें आवंटन के लिये आवेदन पत्र आमंत्रित करते हुये उदघोषणा का जारी किया जाना (क) नियम 6 में यथा उपदर्शित कार्यवाही करने के पश्चात उपखण्ड अधिकारी (भूमिहीन कृषको) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करते हुये अधिनियम की धारा 61 में दी गयी रीती से प्ररूप–2 में उदघोषणा जारी करेगा। (ख) उदघोषणा में आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिये पन्द्रह दिन की कालावधि

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

अनुज्ञात की जायेगी और इस अवधि के गणना उदघोषणा की तामील की तारीख से की जायेगी परन्तु उपखण्ड अधिकारी इस हेतु बुलाई गई आवंटन सलाहकार समिति की बैठक के प्रारम्भ होने से पूर्व किसी भी समय भूमि आवंटन हेतु कोई आवेदन पत्र विचारार्थ ग्रहण कर सकेगा। उपरोक्त नियम का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होगा कि नियम 6 में उपदर्शित कार्यवाही करने के पश्चात उपखण्ड अधिकारी भूमिहीन कृषको से आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा जिसका तात्पर्य यह है कि नियम 6 की कार्यवाही प्राथमिक है एवं नियम 6 का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होगा कि नियम 6 की कार्यवाही से पूर्व नियम 4 व नियम 5 की कार्यवाही आवश्यक है। ऐसी सुरत में नियम 4, 5 व 6 के साथ–साथ नियम 7 (क) के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिये गया विवेचन विधि संवत नही है। अपेक्षित आदेश अथवा तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत आवेदन का अवलोकन करेगे तो यह स्पष्ट होगा कि, ना तो आपेक्षित आदेश में, ना ही तहसीलदार के आवेदन में यह उल्लेख है कि अपीलार्थीया द्वारा आवेदन किस तिथि को आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय से तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा वास्तविक तथ्यो को छिपाया गया था एवं तहसीलदार नीमकाथाना का आवेदन pick and chose पदत्ति पर आधारित है। अपीलार्थीया अनुसूचित जाति की भूमिहीन महिला थी तथा सम्पूर्ण औपचारिकताये पूर्ण करने के पश्चात अपीलार्थीया को खसरा नम्बर 1104/1 में 0.60 है0 भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटित कर भूमि का कब्जा सम्भला दिया गया था। तत्पश्चात नामान्तकरण संख्या 1855 गैर खातेदारी का अपीलार्थीया के पक्ष में भरकर सक्षम पदाधिकारी द्वारा दिनांक 27.10.1999 को स्वीकृत कर दिया गया था तथा गैर खातेदारी का नामान्तकरण करे जाने से पूर्व अपीलार्थीया को मौके पर भूमि पर आधिपत्य भी संभला दिया गया था। अपीलार्थीया को आवंटित की गई भूमि तरमीम कर आवंटित भूमि को खसरा नम्बर 1104/1/3 अंकित किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आपेक्षित आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि अपीलार्थीया के पति के संदर्भ में कोई जांच नही की गई है। जिसके संबंध में यह सपष्ट किया जाना समीचीन है कि अपीलार्थीया के पति श्री सुरजाराम कालावत की दिनांक 09.12.1989 को ही मृत्यु हो गई थी। राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 7 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में गैर मुमकिन पहाड का कोई उल्लेख नही है। ऐसी सुरत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के विपरीत जाकर विधि विरूद्ध तरीके से आपेक्षित आदेश पारित किया गया है। आपेक्षित आदेश दिनांक 28.5.2001 प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो एवं सुस्थापित विधि के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलार्थीया स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.05.2001 को अपास्त किया जावे। अधिवक्ता अपीलार्थीया ने प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.05.2001 का है लेकिन अपीलार्थीया को जानकारी का अभाव होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नही थी। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 05 भी स्वीकार फरमाया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने अपील के तथ्यो को अस्वीकार करते हुये कथन किया है कि तहसीलदार नीमकाथाना ने मुली देवी पत्नी श्री सुरजाराम जाति बलाई निवासी गणेश्वर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर को भू–आवंटन सलाहकार समिति (उपखण्ड अधिकारी) नीमकाथाना द्वारा आराजी खसरा नम्बर 1104/1 कुल रकबा 12.38 है0 में से 0.60 है0 भूमि का आवंटन दिनांक 18.06.1999 को किया गया है को निरस्त करवाने हेतु अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) के तहत पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर सीकर द्वारा विधिक प्रकिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.05.2001 पारित किया है। जिसमें कोई त्रुटि नही है। राजकीय अधिवक्ता द्वारा यह भी कथन किया गया कि अपीलार्थीया द्वारा अपीलाधीन आदेश की अपील अत्यधिक विलम्ब लगभग 19 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र धारा 5 में विलम्ब के जो कारण उल्लेखित किये गये है वे काल्पनिक तथा अस्पष्ट है। अतः अपील मियाद बाहर होने से खारीज की जावे।

7. मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

गया। सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को निर्णित करना हम उचित समझते है। अपीलार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है कि अपीलार्थीया ग्रामीण परिवेश की अशिक्षित, अनपढ व विधवा महिला है। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपीलार्थी को आपेक्षित निर्णय से अवगत नही करवाया जिस कारण अपीलार्थीया को आपेक्षित निर्णय की जानकारी नही हो पाई तथा अपीलार्थीया के पास माह सितम्बर 2020 के प्रथम सप्ताह में विपक्षी(रेस्पोडेंट) के कार्यालय से कर्मचारी आया जिसने बताया कि तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा अपीलार्थीया के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया मुकदमा निस्तारित हो चुका है जिस पर अपीलार्थीया ने जिला कलक्टर सीकर से आपेक्षित आदेश की प्रति प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त भूमि जो अपीलार्थीया के नाम अलॉट हुई थी उसे जिला कलक्टर सीकर द्वारा दिनांक 28.05.2001 को निरस्त कर दिया गया। यहां यह उल्लेखनिय है कि अपीलार्थीया का कथन है कि अपीलार्थीया के पास माह सितम्बर 2020 के प्रथम सप्ताह में विपक्षी के कार्यालय से कर्मचारी आया जिसने बताया कि तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा अपीलार्थीया के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया मुकदमा निस्तारित हो चुका है तथा नकल प्राप्त करने से न्यायालय जिला कलक्टर सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई है। उक्त तथ्य स्वीकार नही किया जा सकता है क्योकि अपीलार्थीया द्वारा अपीलाधीन आदेश की अपील अत्यधिक विलम्ब लगभग 19 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई है तथा उक्त अवधि में अपीलार्थीया को अपीलाधीन आदेश की जानकारी का अभाव हो यह संभव नही हैं। अपीलार्थीया द्वारा विलम्ब का कोई स्पष्ट एवं पर्याप्त कारण भी अंकित नही किया गया है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र 05 मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्य पर्याप्त एवं समुचित नही होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नही है। अतः अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम खारीज किया जाता है।

8. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, मुली देवी पत्नी श्री सुरजाराम जाति बलाई निवासी गणेश्वर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर को आराजी ख.न. 1104/1 कुल रकबा 12.38 है. में से 0.60 है0 भूमि का आवंटन दिनांक दिनांक 18.06.1999 को किया गया है को निरस्त करने हेतु तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) के तहत पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राप्त रिकार्ड का अवलोकन कर विधिक प्रकिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.05..2001 पारित कर मुली देवी पत्नी श्री सुरजाराम जाति बलाई निवासी गणेश्वर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर को दिनांक 18.06.1999 को आराजी ख.न. 1104/1 कुल रकबा 12.38 है. में से 0.60 है0 भूमि का आंवटन किया गया निरस्त किया गया है। हम अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.05.2001 में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं तथा अपील सारहीन होने से खारीज किये जाने योग्य है तथा अपीलाधीन आदेश बहाल रखे जाने योग्य हैं।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीया की अपील मियाद बाधित होने तथा गुणावगुण रहित होने के आधार पर हस्तगत अपील अस्वीकार कर खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.05.2001 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो।

25/10/2021

(बाबूलाल गोयल)
अति.सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

10. निर्णय आज दिनांक 25.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25/10/2021

(बाबूलाल गोयल)
अति.सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner